संख्या- 28/2017/637/बयालिस-2017-247(विविध)/2013

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ, दिनांक : 09 जून, 2017**

विषय- जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 49/नि0 गाजीपुर स्टे0/2017-18, दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लगत रू0 470.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम की स्थापना हेतु लेखानुदान के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से 05 माह के लिए व्यय हेतु रू0 208.33 लाख (रूपया दो करोड आठ लाख तैतिस हजार मात्र) निर्गत करने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 208.33 लाख (रूपया दो करोड आठ लाख तैतिस हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके संबंधित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसका उपयोग निर्माण इकाई द्वारा स्वीकृत कार्यो के लिए नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2)- प्रायोजना आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यमदों की मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(3)- प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(5) प्रायोजना में प्रशासनिक भवन हेतु प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट होने के पश्चात ही फेजिंग के आधार पर निर्माण कराया जाये ।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति से अनुमोदन के पश्चात ही देय होगी ।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव के अनुसार प्रायोजना निर्माण हेतु निर्माण स्थल में 0.66 मीटर गहराई (रू0 152.81 लाख) में अर्थ फिलिंग होने के कारण प्रायोजना में कुर्सी तल की अतिरिक्त ऊंचाई एवं अतिरिक्त गहराई का प्रावधान किया गया है । प्रायोजना स्थल पर प्रस्तावित मिट्टी भराई की मात्रा एवं लागत तथा अतिरिक्त फाउण्डेशन/कुर्सी तल की ऊंचाई को दृष्टिगत रखते हुए प्रायोजना का निर्माण करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना हेतु उपलब्ध भूमि सर्वथा उपयुक्त है ।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) कार्य की विशिष्टियां मानक गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायगा।

(11) परियोजना की लागत में लेबर सेस, ओवर हेड ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी ।

(13) निदेशक, खेल द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये गुणवत्ता पूर्व कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15)- उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2017-18 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-83-जनपद गाजीपुर में नवीन स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016 बी-1-746/दस-2016/231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारो के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 637(1)/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, गाजीपुर।
(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
(6)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(7)- नियोजन अनुभाग- 4
(8)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, वाराणसी 1
(9)- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(आर0 डी0 कल्याण)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।